कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/ माध्य/ संस्था /बी–2 / 45002 /प्रधाना. /स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती कविता यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मजीब (रामगढ) जिला अलवर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुबालिया, जिला झालावाड किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती कविता यादव द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 3345/2019 सुशील कुमार सांखला बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3345/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती कविता यादव को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अपनी पारिवारिक परिस्थितियों एवं कठिनाइयों के मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन पंचायत समिति उमरैण में CBEO कार्यालय के अधीन ACBEO (समकक्ष प्रधानाचार्य– उमावि) के रिक्त पद पर करने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अपीलार्थी का स्थानातरण पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर लोकहित में जारी किया गया है। अपीलार्थी की सेवाए किस स्थान पर पदस्थापित किया जाकर श्रेष्ठतम ढंग से ली जानी है, इसका निर्णय करने का एक मात्र विवेकाधिकार नियोक्ता को है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1993 एस0सी02486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करें।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती कविता यादव द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/कविता यादव/3345/2019 दिनांक29.11.19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/कोटा संभाग, जयपुर/कोटा ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती कविता यादव के

निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 3 दिवस में इस कार्यालय के विभागीय जॉच प्रथम अनुभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर/झालावाड।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती कविता यादव, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)